exports are more and we are also taking care to produce additional jute crop and also to pay remunerative prices to the farmers.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे जूट के सामान की तुलना में पाकिस्तान में बना हुआ जूट का सामान क्वालिटी में भी अच्छा होता है और कीमत में भी चीपर होता है, जिस के कारण भारतवर्ष को पाकिस्तान के साथ काम्पीटीशन में कठिनाई होती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जूट के माल के मुकाबले में अपना माल अच्छा और सस्ता बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ।

श्री मोहन धारिया : अब तो पाकिस्तान में कोई जूट नहीं जाता है । बंगलादेश से जाता है । (**व्यवधान**) ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मेरा मतलब बंगलादेश से ही है ।

श्री मोहन धारिया : अगर हमारा माल अच्छा न होता तो पिछले साल के 130 करोड़ के मुकाबिले इस साल 166 करोड़ कैसे जाता। हमने यह सब ध्यान में लिया है कि हमारा माल अच्छा कैसे हो, अलग-अलग फैशन कैसे लाएं और वहां अच्छी ब्लेंडिंग कैसे करें यह सब ध्यान में ले कर हम कार्यवाही कर रहे है ।

श्री युवराज : मैं वाणिज्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के मैनेजमेंट में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण और भ्रष्टाचार व्याप्त है उस के कारण भी निर्यात पर बुरा असर पड़ा है ?

श्री मोहन धारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस से उठता नहीं मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला यहां नहीं चलता है। माननीय सदस्य अगर हमारी दृष्टि में ऐसा कोई मामला लाएं तो मिनिस्टर आफ इंडस्ट्रीज जो इस को देखते हैं उन को मैं जरूर कहूंगा कि वे इस में जांच करें।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Speaker, Sir, the Minister has stated that since last year jute products are getting remunerative prices. But perhaps he knows that jute growers are demanding that the minimum price of jute should be fixed at Rs. 200 per maund. So, may I know whether the Government is ready to announce the minimum price as demanded by the jute growers? You know that many jute mills are closed and more than 40,000 workers are thrown out of job. So, in view of the reply given by the hon. Minister, may I know what steps the Government is going to take to reopen the jute mills so that the jute growers may get the price as they demanded earlier.

SHRI MOHAN DHARIA: Again, this is a question dealt with by the Minister of Industries. But I can assure the Member that the Government has already taken several steps to see that these closed jute mills resume their work, and also from the point of view of giving remunerative prices to the farmers, it is for the first time that we have decided to purchase jute at the farmers/producers' centres themselves.

तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराध रोकना

*540. **डा० रामजी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तस्करी और अन्य आर्थिक अपराध उस सीमा तक नहीं रोके जा रहे हैं जिस सीमा तक वे आपातकाल के दौरान रोके गए थे; और

(ख) क्या सरकार इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विशेष अभियान चलाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान में तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधों की रोकथाम उस सीमा तक नहीं की जा रही जिस सीमा तक आपात स्थिति के दौरान की जा रही थी। तस्करी को रोकने तथा अन्य आर्थिक अपराधों की व्यापकता को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक और अपेक्षाकृत अधिक कारगर उपाय किए जा रहे हैं।

अपराधियों के विरुद्ध प्रवर्तन-अभियान जारी है तथा प्रवर्तन-एजेन्सियों की अधिकतम दक्षता को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।

इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि प्रवर्तन-उपाय, लोकतंत्रीय भावना तथा देश के कानूनों के अनुरूप ही लागू किए जायं।

तथापि, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय जिस से निपटने के लिए विशेष उपाय करने पड़े अथवा वर्तमान उपायों को और अधिक तेज करना पड़े, तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

डा० राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर तो संतोषप्रद दिया है लेकिन काफी गोलमटोल दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अखबारों में इस प्रकार के समाचार बहुत छपे हैं कि एमेंजन्सी के बाद स्मगलिंग बढ़ गई है। ट्रिब्यून ने ड्रग्स स्मगलिंग की बात 24 अक्तूबर को कही है। हाइड-स्मगलिंग की बात एकोनामिक टाइम्स ने 29-5-77 को कही है। काटन स्मगलिंग की बात फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 21-9-77 को कही गई है। कोल स्मगलिंग के बारे में अभी सौगत राय जी ने कहा है और गोल्ड स्मगलिंग में जो पकड़ा गया है वह सन् 76 में 83 लाख का पकड़ा गया है और 77 में 1 करोड़ से भी ज्यादा का पकड़ा गया है। तो इन फिगर्स से हमें मालूम होता है कि स्मगलिंग बढ़ रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसा आंकड़ा उपस्थित कर सकते हैं जो हमें आश्वस्त करे कि स्मगलिंग कम हुई है ?

श्री सतीश अग्रवाल : आप आंकड़ों के आधार पर स्मगलिंग अनुमान लगा सकते हैं—1974 में टोटल सीजर 60 करोड़ रुपये का था, 1975 में 45 करोड़ रुपये का 1976 में 36 करोड़ रुपये का और 1977 में यह घट कर 29.40 करोड़ रुपये का रह गया। एमर्जेन्सी समाप्त होने के बाद 2 हजार से ऊपर स्मगलर्स को छोड़ा गया था। 1977 में जनता सरकार ने सिलेक्टिव बेसिज पर 186 डिडेक्शन आडर्ज काफिपोसा में जारी किये। इसलिये जिनके खिलाफ हम प्रासीक्यूशन कर सकते थे, हमने किया। हमने कुल 1876 गिरफ्तारियां की, जिनमें से 389 को प्रासीक्यूट किया और 321 व्यक्तियों को कोर्ट से सजा दिला पाये। इस तरह से आप देखेंगे कि स्मगलिंग के खिलाफ हम जो भी प्रयत्न कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी प्रीवेन्टिव एजेन्सीज मजबूत हों, वायरलैस-नैट-वर्क बना रहे है, रिवार्ड्स को बढ़ा रहे है, पंचायतों को पावर्स डेलीगेट कर रहे हैं। चारों तरफ जो भी स्मगलिंग है उसको कन्टेन करने का प्रयास चल रहा है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि 1977 में एमर्जेन्सी के बाद स्मगलिंग में कोई बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इस समय स्मगलिंग बहुत ज्यादा कन्टेण्ड है और सदस्यों का भी सहयोग हम चाहेंगे कि हमारे देश में तस्करी न हो।

डा० रामजी सिंह : 1976 में दो हजार स्मगलर्स को एरेस्ट किया गया था, जिनमें 300 एक्सकाण्ड कर रहे थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि एमर्जेन्सी के बाद

कितने स्मगलर्स अभी तक एरेस्ट किये गये और कितने एक्सकाण्ड कर रहे हैं ? क्या स्मगलिंग को रकने के लिये सरकार समरी-ट्रायल की व्यवस्था करेगी और जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने 20 फरवरी, 1977 को कहा था--

"Ill gotten wealth to be attached."

क्या ऐसे स्मगलर्स की सम्पत्ति को जब्त करने के लिये कदम उठायेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : जनता सरकार के आने के बाद जो एक्चुअल डिटेन्शन आर्डर्ज जारी किये गये थे—उनकी संख्या 186 थी, जिनमे से 160 गिरफ्तार किये गये, 1 रिलीज हो गया और 25 एब्सकाण्डर है।

माननीय सदस्य ने कन्फिस्केशन आफ प्रापर्टीज के बारे में पूछा--हमने 1213 केसेज में नोटिसिज जारी किये, जिनमें 29.19 करोड की प्रापर्टी इन्वाल्व्ड थी। 294 केसेज में कन्फिस्केशन के आर्डर्ज जारी किये गये, जिनमे 5.52 करोड़ की प्रापर्टी इन्वाल्व्ड थी और एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद कन्फिस्केशन के जो फाइनल आर्डर्ज जारी किये गये उनमे 4.13 करोड की प्रापर्टी इन्वाल्व्ड है।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : अध्यक्ष महोदय, यह एक बडा मूलभूत प्रश्न है। हमारे प्रधान मंत्री—श्री मोरारजी देसाई इस समय सदन मे मौजूद है और विपक्ष के नेता श्री यशवन्तराव चव्हाण जी भी मौजूद हैं। मैंने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि एमर्जेन्सी हटने के बाद रतन खत्री नामक आदमी को, जो एमर्जेन्सी में स्मगलिंग में बन्द था, छोड़ देने की वजह से आज पूरे भारतवर्ष में फिर से सट्टा चालू हो गया है। मेरे पत्र के जवाब में मंत्रालय कहता है—हमको समझ में नहीं आया आप कौन से सट्टे के बारे में लिख रहे हैं, सट्टा कई तरह का होता है, काटन का सट्टा होता है, तेल का सट्टा होता है। जबकि मैंने साफ लिखा था कि मै पिचर (मटके) के सट्टे के बारे में कह रहा हूं। आज पूरे भारतवर्ष में 50 लाख का स्मगलिंग रतन खत्री कर रहा है, इस सट्टे के कारण आज गांव-गांव में पूरे देश में सरकार बदनाम हो रही है, गरीब किसान लुट रहा है, मैं जानना चाहता हू कि इसको रोकने के लिये सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री सतीश अग्रवाल : जिस रतन खत्री के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है—उसका सम्बन्ध सट्टे से है, लेकिन तस्करी अलग चीज है और मटके का सट्टा अलग चीज है।

SHRI B. K. NAIR: Immediately after the coming into power of the Janata Party, hundreds of smugglers..

MR. SPEAKER: I am not able to hear you. Please come near the mike and speak We are not able to hear you.

SHRI B K NAIR: Immediately after the coming into power of the Janata Party, hundreds of smugglers... came forward and made confessions to Jayaprakash Narain. They said in Bombay that thereafter, they would behave well. They also offered their services to check smuggling. I want to know whether the services of the erstwhile smugglers have been made use of; and if so; what is the result?

SHRI SATISH AGRAWAL: After the revocation of the emergency, more than 100 smugglers took a pledge before Lok Nayak Jayaprakash Narayan. It is not within the knowledge of the Government that any of them has revived their activities. There may be a case of one or two. We are keeping a close watch over their activities. So far as seeking their co-operation is concerned, Government does not seek that.

If they offer their services, the Government would utilize their services.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The hon. Minister said that during the period of the emergency 2,000 were under arrest and, later on, after the lapse of the emergency or after the termination of the emergency, only 176 remain. May I know the considerations on the basis of which the rest of them were released and whether any high-level committee was appointed to go into these cases and then some conclusion was arrived at about the release of those persons?

SHRI SATISH AGRAWAL: Prior to the revocation of the emergency, the total number of detention orders issued by the previous regime was not 2,000; it was 3,349. After the revocation of the emergency, more than 2,000 smugglers were released, not after the coming into force of the Janata Government, but by the previous Government, before or during the elections. We did not release them. So, there is no question of setting up any high-power committee.

Export contract for Cotton Textile Yarn

*541. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether by a judgement of Supreme Court, Government has been directed to honour all contracts for the export of cotton textile yarn as on or before 8th August, 1977;

(b) is it a fact that the Supreme Court has extended the date for completing shipment of such exports upto 2nd February, 1978;

(c) whether the earlier action taken by the Cotton Textile Export Promotion Council in refusing registration and export has been corrected in view of the decisions of the Supreme Court;

(d) is it a fact that the CTEPC has not acted, nor implemented the decision of the Supreme Court; and

(e) steps taken by Government to rectify the situation and remove the anomaly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). As a result of a writ petition filed by M/s. Udit Exports *Vs.* Union of India and others in the Supreme Court all contracts for export of cotton yarn which were entered into on or before 8th August, 1977 and which were supported by irrevocable Letters of Credit established on or before 30th September, 1977 were allowed to be honoured. The terminal shipment date in respect of such contracts was extended from 31st December, 1977 to 28th February, 1978 in implementation of a subsequent judgement of the Supreme Court.

(c) and (d). The Cotton Textiles Export Promotion Council implemented the policy as announced by Government through the issue of Public Notices from time to time. The Public Notices had been suitably amended in accordance with the decisions of the Supreme Court by the CTEPC and it has acted accordingly.

(e) Does not arise.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Is the hon. Minister of Commerce aware that the notification contained a lacuna for which the cotton yarn exporters had to go to the court and got the order annulled? In the first case, the order did not permit all those firms which were not registered with the CTEPC to export, even though it was not the actual practice to register with them. So, the Court annulled it and declared that whether they are